कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14( )2016 / एफसीए / प्रमुवसं. / 980 दिनांक 12/4/24

विशिष्ठ शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः–Diversion of 4.9696 ha . of forest land for development of Bewar Masuda-Goyala Road, Section of SH-26A from Km. 2+550 to Km. 72.400 in favour of Project Director, Public Works Department, Ajmer, Rajasthan. (Proposal no. FP/RJ/ROAD/21332/2016)

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षैत्रीय कार्यालय गांधीनगर का पत्र क्रमांक 8बी / राज / 033 / 2023 / एफसी दि. 09.11.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आलोच्य प्रकरण में चाही गई सूचना निम्नानुसार हैंः–

क्र.स.	आक्षेप	अनुपालना
1	This proposal was registered by the User Agency online on Parivesh Portal in year 2016. The proposal received at Regional Office in year 2023 for the first time. Thus State Govt. is requested to elarify the reason for so much delay in processing of the proposal.	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्यावर्तित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के आवंटन में पहले उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण दोबारा आवंटित की गयी, इसके अतिरिक्त कोविड–19 महामारी के दौरान अपेक्षित कार्यवाही नही की गई। वर्षवार यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्यवाही का विवरण अवलोकन हेतु संलग्न प्रस्तुत है।
2.	Widening of of road के प्रस्ताव में forest land की एक छोटी strip छोडी गयी है जिसका कोई प्रस्तुत नहीं किया गया है। भविष्य में इस strip में अतिक्रमण होने की सम्भावना है। यदि road की widening आवश्यक है तो इस strip को Diversion प्रपोजल में शामिल करते हुए नया प्रस्ताव parivesh 2.0 Portal में द्वारा प्रेषित करें।	उक्त बिन्दु की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के पार्ट–I में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित सड़क के ROW हेतु तैयार कि गई केएमएल फाइल में दर्शायी गई प्रत्यावर्तित वनभूमि की केएमएल शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। जिसे संशोधित कर पुनः अपलोड कर दिया गय है। अतः किसी प्रकार की अतिरिक्त पट्टी शेष नहीं है। केवल केएमएल शिफ्टिंग के कारण रोड़ दूसरी ओर (LHS) में पट्टी दिखाई दे रही थी, जो कि वास्तव में सड़क के ROW तक ही आती है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना मौजूदा सड़क की चौडाईकरण से संबंधित है एवं प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम है एवं इसके अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2016 / एफसीए / प्रमुवसं. /
दिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
2. उप वन संरक्षक, अजमेर।
3. परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.) सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर, राजस्थान।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email: ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in, ccf.ajmr.forest@gmail.com Tel no.: 0145-2426740

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक एफ 11(95 अ) एफसीए / मुवसअ / 2023 1515 दिनांकः—13/3/24
निमित्त,

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान—जयपुर।

559
27/3/24
FCA

विषयः— Diversion of 4.9696 ha. forest land for Development of Bewar Masuda-Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in favour of Project Director, Public Works Department, Ajmer, Rajasthan. FP/RJ/ROAD/21332/2016

संदर्भः— श्रीमान का पत्रांक 390 दिनांक 09.02.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा उक्त प्रकरण में आक्षेप लगा बिन्दुवार जवाब चाहा गया था, जिसके क्रम में उप वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 2144 दिनांक 11.03.2024 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से बिन्दु संख्या 3 का जवाब प्राप्त कर अभिशंषा सहित प्रेषित किया है।

उक्त क्रम में निवेदन है कि बिन्दु संख्या 1 के क्रम में उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय स्तर से ऑनलाईन कर दिया गया है तथा उप वन संरक्षक, अजमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय अभिशंषा संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस.पी. सिंह) 13/3/24
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145–2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ18( )एफसीए / उवसं / 2023–24 / 2144
निमित्त,   दिनांक :– 11/3/24

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

1409
13/3/24

विषयः– Development of Beawar Masuda- Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in the state of Rajasthan का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/21332/2016 Area 4.9696 ha.

संदर्भः–प्रयोक्ता अभिकरण रा0रा0रा0प्रा0 पी.आई.यू. अजमेर का पत्रांक 424 दिनांक 29.02.2024 (ऑनलाईन भाग 1 मे संलग्न अनुसार दिनांक 06.03.2024)के क्रम मे।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा ब्यावर–मसूदा–गोयला सड़क में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उच्च कार्यालय के द्वारा प्रेषित ऑनलाईन आक्षेप के क्रम मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दु संख्या 1 एवं 2 का जवाब संलग्न कर प्रेषित किया गया है। प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह कार्यालय सहमत है तथा अभिशंषा सहित बिन्दु संख्या 3 की पालना में टिप्पणी कर रिपोर्ट श्रीमान् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

FCA 12/3
12/3/24
12/3/24

भवदीय,

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांकः–एफ18( )एफसीए / उवसं / 2023–24 /
दिनांक :–

1. प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
2. उप महाप्रबंधक(तकनीकी) सह परियोजना निदेशक राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण पी.आई.यू. अजमेर को उनके पत्रांक के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
अजमेर

राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

(सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार)

कार्यालय परियोजना निदेशक, रा.रा.रा.प्रा., पी.आई.यू.–अजमेर

(ई–मेलः PDPPPAJMER@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांक : 424

दिनांकः– 29/02/2024

सेवामें,
उप वन संरक्षक,
अजमेर।

विषयः–Diversion of 4.9696 ha forest land for Developmen of Bewar Masuda-Goyala Road, Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72,400, in the state of Rajasthan.(Proposal No. FP/RJ/ROAD/21332/2016).

संदर्भः–1. श्रीमान् कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान एवं कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर का पत्र क्रमांकः एफ 14 ( ) 2016 / एफसीए / प्रमुवंस / 391–92 दिनांक 09.02.2024।
2. श्रीमान् कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक एफ18( )एफसीए / उवसं / 2023–24 / 1384 दिनांक 14.02.2024।

FCA
4/3/24

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव का अवलोकन करने के उपरान्त कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान एवं कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर का पत्र क्रमांकः एफ 14( )2016 / एफसीए / प्रमुवंस / 390 दिनांक 09.02.2024 एवं एफ18( ) एफसीए / उवसं / 2023–24 / 1381 दिनांकः 14.02.2024को आक्षेप लगाए थे, जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्र.सं.	आक्षेप	पालना
1.	आप द्वारा प्रस्ताव ऑनलाईन नही किया है।	आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।
2.	यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के विलम्ब होने का बताया गया कारण असंतोषप्रद है समय सारणी के आधार पर प्रस्तुत करें। 1177 4/3/24	1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 09.09.2016 को ऑनलाइन प्रस्ताव नोडल अधिकारी महोदय को परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया गया था। 2. उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.2019 को स्वीकार किया जाकर उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की हार्ड प्रतिलिपो उपवन संरक्षक एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। 3. उक्त बिन्दु की अनुपालना में 02.08.2019 को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा हार्ड प्रतिलिपी जमा करवा दी गयी थी। 4. उपवन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 21.08.2019 को EDS द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि एवं एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। 5. दिनांक 28.10.2020 को जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था। 6. दिनांक 15.11.2019 को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन किया गया था जिस क्रम में जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक / एफ. 12

(सी)/कअ/राजस्व/2022/107 दिनांक 22.03.2021 को भूमि आरक्षित की गयी थी।

7. आरक्षित गैर वन भूमि का दिनांक 22.07.2021 को क्षेत्रीय वन अधिकारी की मोजुदगी में मौका निरिक्षण करवाया गया था उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित गैर वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना होना अवगत करवाया गया था।
8. कार्यालय उपवन संरक्षक अजमेर द्वारा पुनः दिनांक 27.07.2021 को क्षेत्रीय वन अधिकारी ब्यावर को स्मरण पत्र मौका निरिक्षण रिपोर्ट उपल्बध करवाने हेतु लिख गया था।
9. दिनांक 29.07.2021 को श्रीमान् उपवन संरक्षक अजमेर ने पत्र के द्वारा बताया आरक्षित की गैर वन भूमि वृक्षारोपण व वन प्रबंधन के लिए उपयुक्त नही है। तथा पुनः अन्य स्थान पर गैर वन भूमि आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया था।
10. इसी संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण ने पुनः समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध करवाने हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर को आवेदन किया तथा श्रीमान् के निर्देशों अनुसार गैर वन भूमि आवंटन से पहले सयुक्त निरीक्षण किया, तथा श्रीमान् जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 12सी/कअ/राजस्व/2022/185 दिनांक 18.05.2022 को भूमि आरक्षित हेतु आदेश दिए। तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त आरक्षित भूमि को राजस्व रिकार्ड से वन विभाग के नाम इन्द्राज करवा कर 4 प्रतियो मय Kml File दिनांक 10.06.2022 को कार्यालय वन सरक्षक अजमेर में प्रस्तुत किये।
11. दिनांक 12.10.2022 को श्रीमान् उपवन संरक्षक ने प्रस्तावित वन भूमि प्रत्यावर्तन का निरीक्षण किया तथा वैकल्पिक मार्ग की जानकारी एवं सड़क निर्माण कार्य के दौरान होने वाले मय जनरेट की सूचना मांगी, जिसकी अनुपालना कर प्रयोक्ता अभिकरण दिनांक 11.11.2022 को जवाब प्रस्तुत किया।
12. इसी क्रम में श्रीमरान् उपवन संरक्षक ने दिनांक 14.11.2022 पुनः सड़क निर्माण की जानकारी मांगी जिसका प्रतिउत्तर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 12.01.2023 को दिया।
13. श्रीमान् उपवन संरक्षक ने भाग–II दिनांक 12.01.2023 को पूर्ति आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान् मुख्य संरक्षक अजमेर को दिया तथा श्रीमान् मुख्य संरक्षक अजमेर ने कुछ टिप्पणीयो की अनुपालना हेतु दिनांक 24.05.2023 को प्रयोक्ता अभिकरण को पत्र लिखा जिसकी अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण ने दिनांक 06.07.2023 को प्रस्तुत करी।
14. इसी क्रम में दिनांक 01.08.2023 को मुख्य वन संरक्षक ने EDS के द्वारा कुछ जानकारी मांगी जिसका जवाब उपवन संरक्षक द्वारा दिनांक 02.08.2023 को दिया।

P.T.O.

		15. दिनांक 12.12.2023 को मुख्य वन संरक्षक ने पत्र लिखकर Proposal के देरी आने का तथा कुछ टिप्पणीयों का जवाब मांगा जिसकी अनुपालना प्रयुक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 11.01.2023 को तथा उपवन संरक्षक ने दिनांक 12.01.2023 दी गईं। अतः महोदय से निवेदन है, कि पुनः गैर वन भूमि आरक्षित करवाने, कोविड–19 महामारी तथा अधिकारयों के पदस्थापन के कारण कुछ समय के लिए उक्त प्रकरण पर कोई कार्यवाही नही हो पायी थी, इसी कारण उक्त प्रस्ताव में विलम्ब हुआ।
3.	यूजर एजेन्सी के प्रतिउत्तर पर मुख्य वन संरक्षक/उप वन संरक्षक की टिप्पणी अप्राप्त है।	आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

(केदार शर्मा)
उप महाप्रबंधक (तकनीकी)
सह परियोजना निदेशक
राजस्थान राज्य राजमार्ग प्रधिकरण,
पी.आई.यू.–अजमेर

क्रमांकः- 424

दिनांक :- 29/02/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। :–

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोड़ल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. श्रीमान् सदस्य, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीपीपी), सानिवि, राजस्थान, जयपुर।

उप महाप्रबंधक (तकनीकी)
सह परियोजना निदेशक
राजस्थान राज्य राजमार्ग प्रधिकरण
पी.आई.यू.–अजमेर

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
Email: ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in, ccf.ajmr.forest@gmail.com Tel no.: 0145-2426740

क्रमांक एफ 11(95 अ) एफसीए / मुवसअ / 2023 291 दिनांकः– 18/1/24
निमित्त,

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान–जयपुर।

विषयः– Diversion of 4.9696 ha. forest land for Development of Bewar Masuda-Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in favour of Project Director, Public Works Department, Ajmer, Rajasthan. FP/RJ/ROAD/21332/2016

संदर्भः– आपके कार्यालय का ऑनलाईन ईडीएस दिनांक 13.12.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित ईडीएस के कम में निवेदन है कि उप वन संरक्षक अजमेर के पत्रांक 390 दिनांक 11.01.2023 द्वारा भारत सरकार द्वारा लगाये गये आक्षेप का प्रयोक्ता अभिकरण से बिन्दुवार जवाब प्राप्त कर प्रेषित किया है जो संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस.पी. सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

Signature valid
Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.01.18 15:48:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 4469956

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड़, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145–2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ18( )एफसीए / उवसं / 2023–24 / 390 दिनांक :– 11/1/24

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषयः– Development of Beawar Masuda- Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in the state of Rajasthan का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/21332/2016 Area 4.9696 ha. मे प्रस्तावित स्थल के मौका निरीक्षण बाबत्।

संदर्भः–प्रयोक्ता अभिकरण रा0रा0रा0प्रा0 पी.आई.यू. अजमेर का पत्रांक 319 दिनांक 11.01.2024 (ऑनलाईन भाग 1 मे संलग्न अनुसार)के क्रम मे।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा ब्यावर–मसूदा–गोयला सड़क में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उच्च कार्यालय के द्वारा प्रेषित ऑनलाईन आक्षेप के क्रम मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जवाव प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार संलग्न कर उच्च कार्यालय को संदर्भित अनुसार संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अभिमन्यु सहारण)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांकः–एफ18( )एफसीए / उवसं / 2023–24 / दिनांक :–

1. प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

उप वन संरक्षक
अजमेर

राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

(सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार)

कार्यालय परियोजना निदेशक, रा.रा.रा.प्रा., पी.आई.यू.–अजमेर

(ई–मेलः PDPPPAJMER@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांकः– 319 दिनांकः– 11-01-2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
अजमेर।

विषयः– Diversion of 4.9696 ha forest land for Development of Bewar Masuda-Goyala Road, Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72,400, in the state of Rajasthan.(Proposal No. FP/RJ/ROAD/21332/2016).

संदर्भः– 1. उपमहानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर का पत्र क्रमांकः 8B/RAJ033/2023-JPR (73/2023/IRO-GNR दिनांकः 09.11.2023।

2. श्रीमान् उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 14( )2016 / एफसीए / प्रामुवसं / 8360–61 दिनांक 15.12.202।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव का अवलोकन करने के उपरान्त उपमहानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर द्वारा जरिए पत्र क्रमांक : 8B/RAJ033/2023-JPR (73/2023/IRO-GNR दिनांकः 09.11.2023 को आक्षेप लगाए थे, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्र.सं.	आक्षेप	पालना
1.	This proposal was registered by the user agency online on Parivesh Portal in year 2016. The proposal received at Regional Office in year 2023 for the first time. Thus, State Govt. is requested to clarify the reason for so much delay in processing of the proposal.	उक्त बिंदु की पालना में अवगत करवाना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु सम्तुलय गैर वन भूमि आवंटन करने बाबत् जिला कलेक्टर अजमेर को आवेदन किया गया था एवं उक्त की अनुपालना में कलेक्टर अजमेर द्वारा ब्यावर में गैर वन भूमि आरक्षित कि गयी थी परन्तु उपवन संरक्षक अजमेर द्वारा उक्त आरक्षित गैर वन भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नही बताया गया अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पुनः गैर वन भूमि आंवटन करवाने की दुबारा प्रक्रिया शुरू कि गयी तथा कोरोनो काल के दौरान उक्त प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। इस कारण उक्त प्रस्ताव में विलम्ब हुआ है।
2.	Widening of road के प्रस्ताव में forest land की एक छोटी strip छोडी गयी है जिसका कोई Justification प्रस्तुत नहीं किया गया है। भविष्य में इस strip में अतिक्रमण होने की सम्भावना है। यदि road की widening आवश्यक है तो इस strip को Diversion प्रपेाजल में शामिल करते हुए नया प्रस्ताव Parivesh 2.0 Portal द्वारा प्रेषित करें।	उक्त बिंदु की पालना में अवगत करवाना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के भाग 1 में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित सड़क के ROW हेतु तैयार कि गई KML फाइल में दर्शायी गई प्रत्यावर्तित वन भूमि की KML शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। जिसे संशोधित कर पुनः अपलोड कर दिया गया है। अतः किसी प्रकार की अतिरिक्त पट्टी शेष नहीं है। केवल KML शिफ्टिंग के कारण रोड़ दूसरी ओर (LHS) में पट्टी दिखाई दे रही थी, जो कि वास्तव में सड़क के ROW तक ही आती है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना मौजूदा सड़क की चौडाईकरण से संबंधित है एवं प्रस्तावित वन भूमि न्यून्तम है एवं इसके अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता नही होगी।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में स्वीकृति दिलवाने का कष्ट करें ताकि लम्बे समय से लम्बित परियोजना का कार्य समय पर सम्पादित किया जा सके।

11.1.24.
अनिल धोलिया)
उप महाप्रबंधक (तकनीकी)
सह परियोजना निदेशक
राजस्थान राज्य राजमार्ग प्रधिकरण,
पी.आई.यू.–अजमेर

P.T.O.

58

क्रमांकः—　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः—

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। :—

1. श्रीमान् सदस्य, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीपीपी), सानिवि, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर।

11.1.24

उप महाप्रबंधक (तकनीकी)
सह परियोजना निदेशक
राजस्थान राज्य राजमार्ग प्रधिकरण,
पी.आई.यू.—अजमेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड़, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145–2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ18(71)एफसीए / उवसं / 2023–24 / दिनांक :–

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक
अजमेर

विषयः– Development of Beawar Masuda- Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in the state of Rajasthan का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/21332/2016 Area 4.9696 ha. मे टाईम लाईन अनुसार जवाब भिजवाने बाबत्।

संदर्भः– श्रीमान् द्वारा दिनांक 08.04.24 को दिये गये निर्देशो के क्रम मे।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित निर्देशो कर पालना में प्रकरण में टाईम लाईन अनुसार जवाब निम्नानुसार संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्र. स.	प्रकरण में दिनांकवार कार्यवाही	विवरण
1	09.09.2016 को प्रकरण ऑनलाईन पोर्टल पर रजिस्ट हुआ	कार्यवाही नोडल अधिकारी जयपुर के स्तर से होनी थी।
2	दिनांक 09.09.2016 से दिनांक 05.07.2019 तक नोडल अधिकारी एफसीए जयपुर द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से की जानी थी।	प्रकरण दिनांक 05.07.2019 को नोडल अधिकारी जयपुर को कार्यवाही हेतु प्रापत हुआ।
3	दिनांक 02.08.2019 को प्रकरण की रसीद प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पावती अपलोड़ की गई।	प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर ही दिनांक 02.08.2019 तक थी।
4	दिनांक 05.08.2019 को प्रकरण ऑनलाईन कार्यवाही हेतु उप वन संरक्षक अजमेर को प्राप्त हुआ।	कार्यवाही हेतु उप वन संरक्षक अजमेर के स्तर पर प्राप्त।
5	दिनांक 05.08.2019 से दिनांक 12.01.2023 तक प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले भूमि संबंधित कार्यवाही एवं प्रकरण में अन्य कमिया जैसे मक डिस्पोजल, तीन अन्य विकल्प इत्यादि की कार्यवाही करके प्रकरण प्रस्तुत किया गया।	दिनांक 05.08.2019 से दिनांक 12.01. 2023 तक प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर ही आक्षेप पूर्ति वास्ते भूमि हेतु लम्बित रहा।
6	दिनांक 12.01.2023 को श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अजमेर को प्रकरण अग्रेषित किया गया।	दिनांक 12.01.2023 से 18.01.2023 तक श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के सतर पर लम्बित रहा।
7	दिनांक 18.01.2023 से 05.05.2023 तक श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति कर प्रेषित की गई।	प्रकरण दिनांक 05.05.023 को नोडल अधिकारी जयपुर को अग्रेषित हुआ।
8	दिनांक 04.09.2023 को प्रकरण राज्य सरकार को अग्रेषित हुआ	राज्य सरकार के स्तर पर कार्यवाही हेतु।
9	दिनांक 27.09.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार जयपुर को प्रकरण अग्रेषित हुआ।	भारत सरकार के स्तर पर कार्यवाही हेतु।
10	दिनांक 09.11.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार जयपुर द्वारा आक्षेपो कर पूर्ति हेतु प्रकरण लौटाया गया।	दिनांक 06.03.2024 को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति कर प्रकरण को उप वन संरक्षक अजमेर को अग्रेषित किया गया।

भवदीय,

(सुगना राम जाट)
उप वन सरंक्षक
अजमेर

क्रमांकः–एफ18(71)एफसीए / उवसं / 2020–21 / दिनांक :–

प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

उप वन सरंक्षक
अजमेर

TimeLine Details

Proposal received date at each stage of flow.

A. General Details

(i). Proposal No. : FP/RJ/ROAD/21332/2016

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Development of Bewar Masuda- Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in the state of Rajasthan

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Consultancy Services for Preparation of Feasibility Report of Two-laning of (i) Km. 2.550 to Km. 72.400 of SH-26A comprising the section from Beawar-Masuda-Goyla (the "Highway-II") of Package-23

(iv). State : Rajasthan

(v). Category of the Project : Road

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 4.9696

B. Time Line

Proposal No.	Submitted by User Agency	Query for Shortcoming(if any) by Nodal Officer	Resubmission of Proposal by User Agency	Query by Nodal Officer for submitting Hard Copies	Uploading(by U.A.) of copies of receipt received from DFO & DC	Division	Circle	Nodal Office	State Government	Regional Office	Stage-I Approval on	Stage-II Approval on
FP/RJ/ROAD/21332/2016	09/09/2016	05/01/2018 14/08/2017 13/04/2017 06/10/2016	14/05/2019 26/09/2017 13/06/2017 27/02/2017	05/07/2019	02/08/2019	Ajmer Territorial :05/08/2019	Ajmer : 12/01/2023 (Ajmer Territorial)	Rajasthan 05/05/2023	Rajasthan: 04/09/2023	Jaipur: 27/09/2023		

C. Essential Details Sought History

Communication between Regional Office & State Government	Communication between State Government & Nodal Officer	Communication between Nodal Officer & Circle	Communication between Circle & Division	Communication between Division & User Agency

Query raised by Regional Office (Jaipur) on:**09/11/2023**	Query raised by State Government (Rajasthan) on:**08/12/2023**	Query raised by Nodal Officer (Rajasthan) on:**16/05/2023**	Query raised by Circle (Ajmer) on:**18/01/2023**	Query raised by DFO (Ajmer Territorial) on:**21/08/2019**
		Replied by Circle(Ajmer) on:**10/08/2023**	Replied by DFO (Ajmer Territorial) on:**19/01/2023**	Replied by UA on :**23/01/2020**
		Query raised by Nodal Officer (Rajasthan) on:**13/12/2023**	Query raised by Circle (Ajmer) on:**15/03/2023**	Query raised by DFO (Ajmer Territorial) on:**31/01/2020**
		Replied by Circle(Ajmer) on:**15/03/2024**	Replied by DFO (Ajmer Territorial) on:**29/03/2023**	Replied by UA on :**28/05/2021**
			Query raised by Circle (Ajmer) on:**12/04/2023**	Query raised by DFO (Ajmer Territorial) on:**09/06/2021**
			Replied by DFO (Ajmer Territorial) on:**12/04/2023**	Replied by UA on :**07/07/2021**
			Query raised by Circle (Ajmer) on:**13/04/2023**	Query raised by DFO (Ajmer Territorial) on:**19/07/2021**
			Replied by DFO (Ajmer Territorial) on:**18/04/2023**	Replied by UA on :**27/07/2021**
			Query raised by Circle (Ajmer) on:**25/04/2023**	Query raised by DFO (Ajmer Territorial) on:**29/07/2021**
			Replied by DFO (Ajmer Territorial) on:**27/04/2023**	Replied by UA on :**09/12/2021**
			Query raised by Circle (Ajmer) on:**24/05/2023**	Query raised by DFO (Ajmer Territorial) on:**10/12/2021**
			Replied by DFO (Ajmer Territorial) on:**26/07/2023**	Replied by UA on :**12/06/2022**
			Query raised by Circle (Ajmer) on:**01/08/2023**	Query raised by DFO (Ajmer Territorial) on:**07/08/2022**
			Replied by DFO (Ajmer Territorial) on:**02/08/2023**	Replied by UA on :**19/10/2022**
			Query raised by Circle (Ajmer) on:**15/12/2023**	Query raised by DFO (Ajmer Territorial) on:**21/10/2022**
				Replied by UA on :**11/11/2022**
				Query raised by DFO (Ajmer Territorial) on:**14/11/2022**
				Replied by UA on :**12/01/2023**

			Replied by DFO (Ajmer Territorial) on:**12/01/2024** Query raised by Circle (Ajmer) on:**15/02/2024** Replied by DFO (Ajmer Territorial) on:**11/03/2024**	Query raised by DFO (Ajmer Territorial) on:**24/05/2023** Replied by UA on :**06/07/2023** Query raised by DFO (Ajmer Territorial) on:**26/12/2023** Replied by UA on :**11/01/2024** Query raised by DFO (Ajmer Territorial) on:**19/02/2024** Replied by UA on :**06/03/2024**

NOTE:- Proposal is pending at **Nodal Officer** due to EDS raised by **Regional Office** .